

प्रेस नोट दिनांक 09-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत 03 अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 09-01-2023 को चोरी अपराधों आदि में संलिप्त 03 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध जनपद के थाना त्रिलोकपुर पर धारा (3)3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी ।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

- 1-चन्दन पुत्र झीनकू (उम्र 30) निवासी विस्कोहर थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2-हरिशंकर पाण्डेय पुत्र बलिराम पाण्डेय(उम्र 20वर्ष) निवासी महतिनिया खुर्द थाना त्रिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3-साजिद पुत्र गुलाम(उम्र 34 वर्ष) निवासी जनिकौरा थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट- दिनांक 09.01.2023 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के निर्देशन में अनुज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2023 को मु0अ0सं0 0187/2022 धारा 376, 384, 504, 506 भादवि में वांछित अभियुक्त अर्जुन पुत्र रामसेवक निवासी चरथरी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अर्जुन पुत्र रामसेवक निवासी चरथरी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01-उ0नि0 चन्द प्रताप सिंह थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-मुख्य आरक्षी रामजी थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

03-आरक्षी विकास ओझा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट- दिनांक 09.01.2023 थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर

थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित 10,000/-रु0 का एक इनामियां अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में संतोष कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता के नेतृत्व में आज दिनांक 09.01.2023 को मु0अ0सं0 149/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को सोनबारसा पुल से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. साकिर पुत्र मो0 जाहिद निवासी औरहवा थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. उ0नि0 वीरेंद्र यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

03. उ0 नि0 विजय प्रताप यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

04. आरक्षी हरिकेश पासवान थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

05. आरक्षी अनिल कुमार थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

06. आरक्षी रामसेवक यादव थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।



प्रेस नोट- दिनांक 09-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 02 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 09-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 02पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 02 पत्रावली में वार्ता प्रचलित है , 02 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थानाध्यक्ष श्रीमती मीरा चौहान, म0हे0मु0 सबिता सिंह, म0 आ0प्रियम्बदा सिंह , म0 आ0 अनिशा सरोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

01- रीता पत्नी प्रकाश साकिन पीकाकार थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर ।

02-शीला पत्नी शर्मा साकिन महुआ माफी थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट- दिनांक 09.01.2023 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा भिन्न भिन्न कम्पनी की एलोपैथिक दवाओं के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व आपरेशन कवच के तहत अवैध तस्करी रोकथाम जुर्म में आज दिनांक 09.01.2023 को ककरहवा बार्डर पीलर न0- 542/33 से एक नफर अभियुक्त रविलाल यादव पुत्र स्व0 महातम यादव निवासी मनवरा पोस्ट लुम्बिनी थाना लुम्बिनी जिला रुपनदेही वार्ड न04 नेपाल को भिन्न भिन्न एलोपैथिक दवाओं के साथ अन्तर्गत धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

बरामदगी का विवरण-

01. TORDEX COUGH LINCTUS 100 ML 35 बाटल
02. HEMOLAB FORTE SYRUP 450 ml 10 बाटल
03. GASTROGYL m 19 NOS
04. CHAYAWAN PRASH 08 NOS
05. GOOD HEALTH -450 TAB
06. LYCOZYN SG 10 -290TAB
07. LOPERAMINDE NOS-500 TAB
08. KETOCONAZOLE TAB - 40 TAB
09. PAURUSH JIWAN -170 TAB
10. DERMIFORD CREAM 15MG -17 TUBES
11. DERMA KT CREAM- 20 TUBES
12. KETOCONAZOLE - 60 TAB
13. UNWANTED KIT -50 TAB
14. AMLOKIND AT -300 TAB
15. DULCEFLEX TAB -450 TAB

16. FINALDERM KC SHOAP 10 PC

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. निरीक्षक संतोष कुमार सिंह थाना मोहाना सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 तरुण कुमार शुक्ला चौकी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. सा0उ0नि0 अजय कुमार डे एसएसबी ककरहवा सिद्धार्थनगर ।
04. मु0आ0 मनिभूषण जयसवाल, एसएसबी ककरहवा सिद्धार्थनगर
05. आ0सा0 एमडी मुस्तफा, एसएसबी ककरहवा सिद्धार्थनगर ।
06. आ0सा0 चुनावणि साहू एसएसबी ककरहवा सिद्धार्थनगर ।
07. आरक्षी समर बहादुर यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।



प्रेस नोट:दिनांक 09.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 09.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के चतुर्थ दिवस पर अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, जोगिया तथा बांसी कस्बा आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया एवम प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात टीम द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया जिससे कोहरे में वाहनों की दृश्यता बढ़ सके एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके एवम वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 40 वाहनों से 44500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।